

पूर्वात्तर रेलवे

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के पत्र आरबीई नं० 28/2018 दिनांक 22.02.2018, आरबीई नं० 59/2019 दिनांक 05.04.2019 एवं 85/2023 दिनांक 28.06.23 तथा महाप्रबन्धक/का/गोरखपुर के पत्र सं० NER-HQOPERS(POLI)/139/2025-O/o PCPO/NER (Computer No-141772) दिनांक 15.09.2025 के अनुपालन में लखनऊ मण्डल में वाणिज्य विभाग के मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक, ग्रेड पे 4200 लेवल-6 के 75 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत 57 रिक्त पदों को विभागीय चयन (सीबीटी आधारित परीक्षा) के माध्यम से भरा जाना है। मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक, ग्रेड पे 4200 लेवल-6 का 75 प्रतिशत पदोन्नति कोटा की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतन बैंड, ग्रेड पे एवं लेवल	कुल रिक्तियां	रिक्तियों का बटवारा			कुल 57 रिक्तियों में पीडब्ल्यूबीडी का बटवारा		
1	मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक	9300-34800+ग्रेड पे 4200, लेवल-6	57	सामान्य	अजा0	अजजा0	एचएच	ओएच	एमडी
				44	09	04	1	1	1

1. पात्रता मानदण्ड एवं योग्यता:-

- वाणिज्य विभाग में कार्यरत वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक लेवल-05 में कार्यरत कर्मचारी जिनका लियन पूर्वात्तर रेलवे/लखनऊ मण्डल में है वे मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक, ग्रेड पे 4200 लेवल-6 के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
- अधिसूचना जारी होने की तिथि तक वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक लेवल-05 में एकीकृत समूह में न्यूनतम 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी लिखित/सीबीटी परीक्षा में आवेदन/बैठने के लिए पात्र होंगे।
- एमएसपी के तहत दिया गया वित्तीय उन्नयन को चयन हेतु सेवा गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।
- यह चयन सीबीटी के माध्यम से सम्पन्न लिखित परीक्षा तथा विगत तीन वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट व डीएआर/एसपीई/विज केंस से मुक्त होने के आधार पर मेरिट के क्रम में करायी जानी है। इस चयन में कर्मचारियों को आरबीई सं० 17/2014 दिनांक 06.02.2014 एवं महाप्रबन्धक/का०/गोरखपुर के पत्र सं० NER-HQopers(POLI)/139/2025 computer no. 141772 दिनांक 15.09.2025 के अनुसार 1:3 के अनुपात में बुलाया जाये।
- पात्र कर्मचारियों की चिकित्सा श्रेणी/बी-2 होना अनिवार्य है। (आरबीई सं० 69/2024 दिनांक 26.07.2024)
- उक्त चयन में सम्मिलित होने के लिए कर्मचारी का सीसीटीसी संवर्ग के प्रारम्भिक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- इस CBT परीक्षा की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा नहीं होगी।
- रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E(NG)/2005/PM1/52 दिनांक 22.08.2006 के अनुसार कर्मचारियों की पात्रता हेतु कटआफ तिथि अधिसूचना जारी होने की तिथि होगी।

2. चयन का प्रकार -

रेलवे बोर्ड के पत्र 33/2025 दिनांक 23.04.2025 के अनुसार CBT परीक्षा और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार कर्मचारियों के लिए लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए और कुल मिलाकर भी 60 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए। ऐसा करने पर वे पदोन्नति के लिए पैनल में शामिल होने के पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए, मौजूदा नियमों के अनुसार अर्हता अंकों में छूट लागू होगी।

3. पैनल निर्माण - मास्टर सरकुलर 31 दिनांक 19.12.2019 के अनुसार चयन परीक्षा में प्राप्तांक निम्न प्रकार होंगे-

S.no.	Factors/Headings	Maximum Marks	Qualifying Marks
1	Professional ability	50	30
2	Record of service	30	---
3	Seniority	20	---
	Total	100	60

व्यावसायिक दक्षता में 50 अंक, सेवा अभिलेख के 30 अंक एवं वरीयता के 20 अंक के आधार पर अन्तिम पैनल बनाया जायेगा। पैनल का चयन सीबीटी परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और पिछले तीन वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट व डीएआर/एसपीई/विज केंस से मुक्त होने के आधार पर करायी जानी है।

4. लिखित परीक्षा की प्रक्रिया:-

- रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 05/2024 दिनांक 16.01.2024, पत्र सं० 196/2018 दिनांक 14.12.2018 व 97/2019 के अनुसार सीबीटी परीक्षा की अवधि 120 मिनट की होगी।
- सीबीटी परीक्षा रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 47/2025 एवं 75/2025 के अनुसार आयोजित की जायेगी। सीबीटी लिखित परीक्षा 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी।
- महाप्रबन्धक (कार्मिक) पूर्वात्तर रेलवे गोरखपुर के पत्र संख्या का/254/चयन/प्रश्न बैंक निर्देश/4/08 दि० 20.03.2019 के अनुसार लिखित परीक्षा में 100 अंकों के 110 बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ द्विभाषीय (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रश्न होंगे, जिनमें अधिकतम 100 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 10 प्रतिशत प्रश्न राजभाषा से पूछे जायेंगे जिनका उत्तर देना वैकल्पिक होगा।
- यदि कर्मचारी 100 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है, तो पहले 100 प्रयास किए गए प्रश्नों को मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड को पत्र सं० 194/2019 दिनांक 14.11.2019 के बिन्दु 3(1) के अनुसार प्रत्येक ऋणात्मक अंक की कटौती लागू नहीं होगी।

31/12

उपरोक्त सीबीटी परीक्षा में अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण कर्मचारी को इस परीक्षा में दोबारा सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जायेगा। परीक्षा की तिथि एवं समय की सूचना अलग से दी जायेगी।

• चूँकि यह पद गैर संरक्षा श्रेणी (नार्न-सफेटी कैटेगरी) है, इसलिए अजा0/अजजा0/ समुदाय के कर्मचारियों हेतु कोई pre-selection coaching नहीं दिया जायेगा।

• चयनित कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व इस पद हेतु अनिवार्य निर्धारण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। चयनित कर्मचारियों को मूल श्रेणी में वापसी का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. अन्य सामान्य शर्तें—

• इस अधिसूचना में अंकित तथ्यों तथा रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय के तत्सम्बन्धी निर्देशों एवं परिपत्रों के बीच किसी प्रकार का विरोधाभास होने की स्थिति में समय-समय पर मुख्यालय तथा रेलवे बोर्ड से जारी दिशानिर्देश मान्य होंगे एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

• उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे प्रशासन चयन/उपयुक्तता प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारों के दस्तावेज/शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि को उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत करने में असमर्थ होने या उम्मीदवार के किसी दस्तावेज में अनियमितता पाए जाने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध अपराधिक/सर्तकता/डीएआर सम्बन्धी मामला लम्बित होने पर उन उम्मीदवारों के आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

• प्रभारी/पर्यवेक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे उन्हीं कर्मचारियों का विकल्प अग्रसारित करें जो पात्रता पूर्ण करते हो, उपरोक्त के अलावा किसी और कर्मचारी का विकल्प अग्रसारित न करें। विकल्प देने वाले जो कर्मचारी पात्र होंगे उन्हें ही चयन में बुलाया जायेगा। कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन व उस पर चस्पा फोटो तथा हस्ताक्षर को नियंत्रक पर्यवेक्षक से सत्यापित कराकर वॉछित विवरण के साथ दि० 16.01.2026 तक अपने नियंत्रक पर्यवेक्षक के पास जमा करेंगे। नियंत्रक पर्यवेक्षक प्राप्त सभी आवेदनों का बंध बनाकर कवरिंग लेटर के साथ विशेष पत्र वाहक द्वारा दिनांक:—20.01.2026 तक मण्डल कार्यालय/लज० में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

• विकल्प देने वाले सभी पात्र कर्मचारी इस अधिसूचना को तैयारी हेतु नोटिस मानकर परीक्षा के लिये तैयार रहें। इस अधिसूचना को ही लिखित परीक्षा हेतु तत्परता सूचना समझा जाये। निर्धारित अवधि के पश्चात पात्र कर्मचारियों को अल्पकालिक सूचना पर लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जा सकता है।

यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

नोट—यदि इस अधिसूचना में आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान/रेलवे द्वारा जारी सर्कुलर/चयन के नियम और शर्तें छूट गये हो तो उन्हें वैध और सही माना जाये। यद्यपि अधिसूचना जारी करने में रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को समाहित किये जाने का प्रयास किया गया है परन्तु फिर भी यदि कोई तथ्य या नियम छूट गया है तो सम्बन्धित कर्मचारी अपनी आपत्ती इस अधिसूचना के जारी किये जाने की तिथि से 05 दिन के भीतर इस कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं।

संलग्नक—

1—आवेदन का प्रारूप/ अनुलग्नक—क

2—पाठ्यक्रम।

सकाधि

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)/लखनऊ।

सं०:— E/ii/254/CCTS/selection/2025

दिनांक— 31.12.2025

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महाप्रबन्धक/का०/पूउरे०/गोरखपुर

2— महाप्रबन्धक/सर्तकता/पूउरे०/गोरखपुर

3— वरमविप्र/वरमवाप्र/लखनऊ

4—समस्त स्टेप्र/स्टेधि/वा०अधी०/वानि०/यानि० लखनऊ मण्डल

5—मुगानि/कन्ट्रोल—कृपया उपरोक्त को अपने स्तर से प्रचारित एवं प्रसारित करें।

6— नोटिस बोर्ड मण्डल कार्यालय/ल०जं०

7—मुकार्याधी/गोपनीय/वरमकाधि— कृपया उक्त अधिसूचना पूउरे०/लखनऊ मण्डल के वेबसाइट पर अपलोड करना चाहें।

8—सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रभारी

9— मण्डल मंत्री एनईरेलवे मेन्स कांग्रेस/अजजा/अजा/लखनऊ

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
लखनऊ।

विषय:- लखनऊ मण्डल में वाणिज्य विभाग के अधीन मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक, ग्रेड पे 4200 लेवल-6 के 75 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय चयन हेतु आवेदन पत्र।

सन्दर्भ:-अधिसूचना सं०:- E/ii/254/CCTS/selection/2025 दिनांक- 31.12.2025

1. कर्मचारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी) हिन्दी में
अंग्रेजी में
2. पिता/पति का नाम
3. जन्मतिथि.....
4. नियुक्ति तिथि.....
5. वर्तमान ग्रेड में प्रवेश की तिथि.....
6. वर्तमान ग्रेड में कुल सेवा की अवधि.....
7. पदनाम एवं लेवल (एमएसीपीएस को छोड़कर).....
8. वेतन दर.....
9. नियुक्ति का श्रोत.....
10. समुदाय (सामा०/अजा०/अजजा०).....
11. वर्तमान कार्यस्थल.....
12. नियंत्रक अधिकारी.....
13. भविष्य निधि सं०/एचआरएमएस आई.....
14. CCTC/SRCCTC के प्रशिक्षण का विवरण.....
15. शैक्षणिक योग्यता.(सत्यापित प्रमाण संलग्न).....
16. मोबाइल नं०.....
17. E-mail id-----

पासपोर्ट साइज
फोटो जो नियंत्रक
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित हों

18. अन्य मण्डल से यदि स्वयं के अनुरोध पर

स्थानान्तरण पा आये। मण्डल में कार्यभार ग्रहण की तिथि

19. विकलांग- हॉ/नहीं (यदि हॉ तो विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें।).....

20. अधिसूचना जारी होने की तिथि को लेवल-5 तक की कुल सेवाअवधि (वर्ष, माह, दिन)

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना/जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई असत्यता पायी जाती है तो मेरा/मेरे आवेदन को निरस्त कर दिया जाय तथा मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर.....

कर्मचारी का नाम

पदनाम-

कार्यालय-

दिनांक-

स्थान-

नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित

(अधिकारी का मुहर)

6/12/25



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर-273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक:- 150

File No: NER-HQOPERS(POLI)/123/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER(Computer No: 140368) दिनांक:-15/09/2025

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे

विषय :- वाणिज्य विभाग के विभिन्न पदों पर चयन हेतु कामन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- महाप्रबन्धक/कार्मिक/गोरखपुर का पत्र संख्या ई/2025/सर्कुलर/चार दिनांक 25.06.2025

विषयगत मामले में वाणिज्य विभाग के विभिन्न पदों पर चयन हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रम आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है-

Sr No.	Designation	Quota
1	वाणिज्य-सह-टिकट लिपिक (लेवल-3)	33 1/3% (General Selection traffic and commercial staff)
2	वाणिज्य-सह-टिकट लिपिक (लेवल-3)	16 2/3 % LDCE
3	वाणिज्य-सह-टिकट पर्यवेक्षक (लेवल-6)	75% DPQ

अतः उक्त मामले में तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पाठ्यक्रम पर प्रमुवाप्र का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक/यथोपरि

(वी.के.द्विवेदी)
उपमुकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1) महामंत्री/एन.ई.रेलवे मेन्स कांग्रेस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर
- 2) महामंत्री/प्रोमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एसोसियेशन/गोरखपुर

Digitally Signed by Vinod

Kumar Dwivedi

Date: 15-09-2025 17:32:15

Reason: कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

Syllabus for the 75% Promotion Quota for CCTS in the Commercial Department,

Overall Structure Section	Marks	Remarks
1. Professional	80	Core professional knowledge
2. Establishment & Accounts	20	Administrative proficiency
3. Rajbhasha (Optional)	10	

PROFESSIONAL (80 Marks)

A. General Overview

- History, development & organization of Indian Railways
- Commercial Department structure & books of reference
- Railway Act 1989 & relevant commercial rules
- Functions of Commercial Deptt.

B. Coaching

1. Booking & Reservation

- Classes of accommodation, fare rules, rounding off
- PRS, UTS, I-ticket, e-ticket systems
- Types of tickets & passes, circular journey ticket, break journey rules
- Military, police, jail warrants & concessions
- Seat/berth reservation, quotas, RAC, Tatkal, group bookings
- Booking of special trains/coaches
- Tourist trains (Palace on Wheels, Fairy Queen, etc.)
- Chart preparation, name change, postponement/preponement
- Online/mobile reservations, bedroll charges, upgradation
- Refund rules, duplicate tickets, TDR/EDR, cancellation through 139.
- JTBS, STBA, YTSK, VIKALP, mobile ticketing, UTS on Mobile app
- Time tables
- HOR, Travel entitlements for MPs, MLAs, etc.

5. Luggage & Parcel

- Definitions, free allowance, categorisation of trains for parcel traffic.
- Parcel booking rules, PLM, PMS, POS
- Booking of corpses, animals and birds, perishable, bulky items, vehicles.
- Minimum weight condition, Excepted articles, Provision of PCEV
- Delivery procedures, indemnity bonds, cost deposits, demurrage & wharfage
- PCET, E-auction of Parcel Space, JPP-RCS Policy

6. Ticket Checking

- Duties, Types of ticket check irregular travel, excess fare, charge sheets
- Medical aid, HHT, TTE lobby digitisation
- Unbooked luggage, memo preparation
- Ticket disposal, DTCR, reporting of abnormal tickets,
- Guard certificate, ACP/RTT handling, tickets left behind.

2025/O/o SPO/HQ/HQ/NER

B. Goods Theory**1. General**

- General, dangerous, offensive, livestock, perishables, military, POL, RMC, ODC
- Classification of commodities
- Kinds of rates, STS
- Sidings. PFT, Gati Shakti Cargo Terminal Policy
- FOIS, Freight Business Development Portal(FBD Portal), Rates Branch System (RBS)

2. Wagon & Traffic Handling

- Transportation Products: Block Rakes / Mini Rakes / Two Point Combinations etc.
- Wagon types, Carrying Capacity, CC Routes, weighment, routing, rationalization
- Forwarding notes, Registration of Demand for wagons electronically (e-RD) through FOIS web portal; Premium Indent Scheme, wagon demand register
- Rules for acceptance and booking, Tarpaulin use, sealing & locking wagons

3. Booking & Delivery Rules

- Contraband, livestock, bulky articles, railway/military goods
- TMS, e-payment, RR issuance
- Unloading, discrepancy reporting, DD register
- Rebooking and Diversion, Rationalisation Scheme
- Provision, installation and functioning of weighbridges.
- Weighment of wagons / rake, exemption from weighment, procedure to deal with overloaded wagon(s) and levy of Detention Charge etc.
- System of charging freight on Through distance basis in case of sidings, EOL System.
- Electronic Transmission of Railway Receipt (eT-RR)
- Container Rail Terminal (CRT), Container Class Rate (CCR) and Hub & Spoke system of charging.
- Rules for conveyance of explosives and other dangerous goods by rail (Red Tariff)

2. Various Charges, Freight Marketing

- Freight, punitive charges, under/over charge
- Levy of Busy Season Charge, Development Surcharge and Congestion Charge.
- Delivery types, indemnity bonds, gate pass system.
- Demurrage, Stabling, Wharfage, Stacking, Waiver and Write-off, (Waiver Module in IREPS Portal)
- Freight Incentive Schemes, AFTO, SFTO,
- Wagon Investment Schemes, Wagon Leasing schemes, GPWIS

3. Claims & Refunds

- Coaching Refunds, WECRS
- Responsibility of Railways,
- Claims & Claims Prevention
- Notified Stations, Disposal of unclaimed goods, NR Cell
- DDM/MGR, misdeclaration, goods refunds.
- Railway Claims Tribunal

4. Documentation & Returns

- TAMS, E-CR, E-TR, Coaching/goods balance sheet.
- Goods cash book, balance sheet, NR cell
- Station outstanding and clearance.

C. Safety Management

- Accident definitions & classifications
- ART/ARME operations, hooter, target times
- Duties during accidents, ex-gratia, compensation (Sec. 124, 124-A)

D. Other Commercial functions

- Station categorization, cleanliness, passenger amenities
- Facilities for special categories (Divyangjan, Sr. Citizens, Military, etc.)
- Public facilities: cloak room, lockers, IVRS, NTES, PA system.
- Digital Payments, UPI, QR payments.
- Catering Policy, PMBJK, OSOP, NFR Policy, WVM Policy, MPS Policy
- E-auction, Miscellaneous E-Receipt system (MERS)
- Halt stations
- Public Grievance, Rail Madad, CPGRAMS, RTI
- Consumer Protection Act,
- Consultative committees (SCC, DRUCC, ZRUCC, NRUCC)

ESTABLISHMENT & ACCOUNTS (20 marks)

A. Establishment

- Leave types & encashment
- Passes, Pass Rules, entitlement, free allowance on passes & AILTC
- Pay & allowances: TA, DA, NDA, OTA, contingency, CTG
- Seniority, career prospects
- Duty roster, HOER
- Conduct rules, D&AR,
- Staff welfare: PNM, JCM, PREM, SBF, NPS, UPS, APAR

B. Accounts

- Traffic Accounts Office & TIA
- Railway earnings sources
- Booking/reservation/parcel/goods forms & registers
- Indents: money value books, computer tickets
- Cash remittance: e-CR, e-TR, Rail Shakti
- Reports & returns from various offices
- Accountal of EFT, BPT, RTC, NIT, vouchers
- Commercial Statistics, Statistical Statements

राजभाषा RAJBHASHA (Optional – 10 Marks)